न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
प्रधानी नियुक्ति अपील वाद सं0-02/2017-18
आर0एम0ए0
ललीता हेम्ब्रम
बनाम
श्यामचाँद हेम्ब्रम

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	आदेश	
27.01.2021	यह रिविजन वाद विद्वा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0-01/15-16 (पी0ए0 वाद सं0-12/15-16 संलग्न) में दिनांक-19.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्व दायर किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के रिविजनकर्त्ता ललीता हेम्ब्रम, पति-बेनेडिक्ट मरांडी तथा विपक्षी श्यामचाँद हेम्ब्रम, पिता-स्व0 जोहन हेम्ब्रम के द्वारा मौजा-सालगापाड़ा, थाना-पाकुड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा पी0ए0 वाद सं0-01/15-16 (पी0ए0 वाद सं0-12/15-16 संलग्न) संस्थित करते हुए सुनवाई की गई तथा दिनांक-19.08.2016 को पारित आदेश द्वारा इस वाद के विपक्षी श्यामचाँद हेम्ब्रम की नियुक्ति मौजा-सालगापाड़ा के ग्राम प्रधान के पद पर किया गया। रिविजनकर्त्ता द्वारा इसी आदेश के विरूद्व यह अपील वाद दायर किया गया है। उभय पक्ष के विद्वा अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत अंतिम तर्क/बहस को सुना गया। उभय पक्ष द्वारा लिखित अभिकथन भी दाखिल किया गया है। रिविजनकर्त्ता के विद्वा अधिवक्ता का कहना है कि मौजा-सालगापाड़ा एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के खतियानी प्रधान फनी हेम्ब्रम थे। फनी हेम्ब्रम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पियरी टुडू ग्राम प्रधान बनी। पियरी टुडू के बाद उनका पुत्र निराकर हेम्ब्रम ग्राम प्रधान बने तथा निराकर हेम्ब्रम के बाद उनकी पत्नी हेलेना मरांडी की नियुक्ति ग्राम प्रधान के पद पर की गई। हेलेना मरांडी की मृत्यु हो चुकी है। रिविजनकर्त्ता इसी हेलेना मरांडी की एक मात्र संतान है। हेलेना मरांडी के द्वारा अपने पति की इच्छानुसार अपनी एक मात्र पुत्री ललीता हेम्ब्रम (रिविजनकर्त्ता) की शादी घरजमाई रिति से संथाल रीति रिवाजों के अनुसार बेनेडिक्ट मरांडी, पिता-चार्लेश मरांडी के साथ दी गई। घरजमाई शादी के बाद दोनो पति-पत्नी	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

हेलेना मरांडी के घर में रहने लगे तथा संपूर्ण सम्पत्ति का शांतिपूर्वक भोग दखल करने लगे। उनका आगे कहना है कि रिविजनकर्त्ता की माता हेलेना मरांडी नियुक्त ग्राम प्रधान थी, जिनकी नियुक्ति पी0ए0 वाद सं0-26/03-04 में दिनांक-23.12.2005 को पारित आदेश द्वारा की गई थी। हेलेना मरांडी की मृत्यु दिनांक 04.02.2015 को हो गई। हेलेना मरांडी की मृत्यु के बाद उनकी एक मात्र पुत्री ललीता हेम्ब्रम (रिविजनकर्त्ता) को ग्रामीणों द्वारा सर्वसम्मति से ग्राम प्रधान के रूप में चयन किया गया। उनका आगे कहना है कि रिविजनकर्त्ता पढ़ी लिखी, उर्जावान युवती है एवं उन्हें सभी ग्रामवासियों का समर्थन प्राप्त है।

उनका आगे कहना है कि अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के पत्रांक 166/सा0, दिनांक 11.09.2015 द्वारा निम्न न्यायालय को प्रेषित जाँच प्रतिवेदन एक पक्षीय है तथा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रिविजनकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में घरजमाई संबंधी कागजात दाखिल किया गया था, परन्तु इसे अभिलेख में नहीं लाया गया। उनका आगे कहना है कि विपक्षी के द्वारा ललीता हेम्ब्रम के पति का Voter List दाखिल किया गया है जो रिविजनकर्त्ता के विवाह के पूर्व का है तथा इस वाद में यह उपयुक्त साक्ष्य नहीं है। उनका आगे कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय (Thakur Hembrom Vrs State of Bihar, Reported In 1980 BLJ 212,DB) में यह स्पष्ट किया गया है कि –ऐसे मामले भी जहाँ एक अभ्यर्थी द्वारा वंशानुगत आधार पर तथा दूसरे अभ्यर्थी द्वारा मतदान के आधार पर दावा किया गया है, में पहले वंशानुगत आधार पर किये गए दावे का निपटारा किया जाना है। वंशानुगत दावे अर्थात् Sec 6 के तहत दावे के खारिज होने के बाद ही मतदान द्वारा अर्थात Sec 5 के तहत् बहाली की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

उनका आगे कहना है कि रिविजनकर्त्ता की शादी घरजमाई तरीके से हुई है तथा वंशानुगत आधार पर उनके दावे को स्वीकृति दी जानी चाहिए। उनके द्वारा List of Document के रूप में घरजमाई संबंधी कागजात दाखिल कर दिए जाने की बात कहते हुए पुनः उक्त कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया तथा कहा गया कि घरजमाई संबंधी कागजातों से स्पष्ट है कि रिविजनकर्त्ता की शादी घरजमाई रिति से हुई है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विपक्षी प्रमाणिक के पद पर भी कार्य कर रहें है एवं मान जमीन का भोग दखल कर रहें है। उनका आगे कहना है कि एक ही व्यक्ति दो भिन्न पदों पर नियुक्त नहीं हो सकते है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

को निरस्त (Set aside) करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 5 एवं 6 के अन्तर्गत है तथा दोनों ही धाराओं में SPT (Supp.) Rules 1950 के अनुसूची V का अनुसरण किया जाता है। अनुसूची V के नियम 3 के अनुसार ग्राम प्रधान का कार्यालय वंशानुगत है तथा अगला उत्तराधिकारी (Next Heir) जो हो ही उनकी नियुक्ति ग्राम प्रधान के पद पर की जाती है। उनका आगे कहना है कि संथाल रिति रिवाज के अनुसार यदि पुत्री की शादी घरजमाई तरीके से नहीं होती है तो उनका अपने माता-पिता की सम्पत्ति पर कोई हक नहीं होता है, अर्थात वे वैध उत्तराधिकारी नहीं हो सकती है। संथाल रिति रिवाज के अनुसार केवल माता-पिता ही अपनी पुत्री की घरजमाई तरीके से शादी करा सकते है। उनका आगे कहना है कि लखीता हेम्ब्रम पूर्व ग्राम प्रधान हेलेना मरांडी की पुत्री है परन्तु उनकी शादी चूंकि घरजमाई तरीके से नहीं हुई है इसलिए वे हेलेना मरांडी की वैध उत्तराधिकारी नहीं है तथा इस आधार पर उनका वंशानुगत आधार पर दावा कानूनन वैध नहीं है। उनका आगे कहना है कि रिविजनकर्त्ता की शादी दुमका जिला के काठीकुण्ड के ऐरो ग्राम में एक बेनेडिक्ट मरांडी, पिता-चालेश मरांडी के साथ साधारण रिति से हुई है तथा रिविजनकर्त्ता अपने पति के साथ दुमका जिला में ही वसोवास करती है। उक्त बेनेडिक्ट मरांडी का नाम प्रखण्ड काठीकुण्ड के ऐरो ग्राम के मतदाता सूची वर्ष 2015 के भाग सं0-98 के क्रमांक 182 में अंकित है जो यह प्रमाणित करता है कि शादी के बाद भी बेनेडिक्ट हेम्ब्रम अपने पैत्रिक गाँव ऐरो में ही रहते है।

उनका आगे कहना है कि रिविजनकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में घरजमाई संबंधी कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया था तथा इस न्यायालय में उनके द्वारा रिविजनकर्त्ता की घरजमाई शादी होने से संबंधित दो अलग-अलग कागजात दाखिल किया गया है। उक्त दो भिन्न कागजातों में रिविजनकर्त्ता की शादी की तिथि भिन्न है जो साबित करता है कि उक्त कागजात फर्जी है।

उनका आगे कहना है कि विपक्षी खतियानी ग्राम प्रधान के वंशज है तथा अंतिम ग्राम प्रधान के भी गोतिया (Agnate) है। इस प्रकार वंशानुगत आधार पर उनका दावा सही है। उनका आगे कहना है कि विपक्षी ग्राम प्रधान के पद हेतु पूर्णतः योग्य है तथा ग्रामीणों का समर्थन एवं सहयोग उन्हें प्राप्त है। निम्न न्यायालय द्वारा घरजमाई रिति से शादी नहीं होने के

27.1.2021

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

कारण रिविजनकर्त्ता को ग्राम प्रधान के पद के लिए Fit नहीं पाया गया तथा विपक्षी को Fit पाते हुए वंशानुगत आधार पर ग्राम प्रधान के पद पर बहाली की गई, जो बिल्कुल सही है।

उनका आगे कहना है कि रिविजनकर्त्ता का यह आरोप कि विपक्षी प्रमाणिक के पद पर भी कार्य करते है, बिलकुल निराधार एवं असत्य है तथा रिविजनकर्त्ता के द्वारा अपने उक्त आरोप के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है तथा यह आरोप केवल न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से लगाया गया है।

विपक्षी के द्वारा रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

रिविजनकर्त्ता एवं विपक्षी दोनो का ही दावा वंशानुगत आधार पर है। रिविजनकर्त्ता के द्वारा स्वयं को पूर्व नियुक्त ग्राम प्रधान हेलेना मरांडी की एक मात्र पुत्री होने तथा घरजमाई रिति से विवाह होने के आधार पर अपना दावा किया गया है जबकि विपक्षी के द्वारा खतियानी ग्राम प्रधान के वंशज तथा पूर्व नियुक्त ग्राम प्रधान हेलेना मरांडी के गोतिया Agnate) होने के आधार पर दावा किया गया है।

रिविजनकर्त्ता के द्वारा इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि उनकी शादी घरजमाई रिति से हुई है तथा अपने उक्त कथन के समर्थन में उनके द्वारा शपथ पत्र सं0–2183, दिनांक–13.05.2014 तथा दिनांक–14.09.2016 को सादे कागज पर निष्पादित घरजमाईनामा पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है। जबकि विपक्षी का कहना है कि रिविजनकर्त्ता की शादी घरजमाई रिति से नहीं हुई है तथा अपने उक्त कथन के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा दुमका जिला के पंचायत निर्वाचक नामावली 2015 (अहर्ता की तिथि 01.01.2015 तथा प्रकाशन की तिथि 31.08.2015) के भाग सं0–98 की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

इस प्रकार इस वाद में विचारण का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या (1) रिविजनकर्त्ता की शादी घरजमाई तरीके से सम्पन्न हुई है तथा वे प्रधानी पद के लिए Fit है तथा (2) विपक्षी का वंशानुगत दावा बनता है अथवा नहीं तथा प्रधानी पद के लिए Fit है या नहीं।

विचारण के बिन्दू (1) के संदर्भ में रिविजनकर्त्ता के द्वारा दाखिल घरजमाई शादी से संबंधित उक्त दो कागजातों का अवलोकन किया गया। शपथ पत्र सं0–2183, दिनांक 13.05.2014 को हेलेना मराण्डी के द्वारा निष्पादित है। उक्त शपथ पत्र की कंडिका 4 के

Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

इसी प्रकार रिविजनकर्त्ता के द्वारा दाखिल सादे कागज पर बनाए गए घरजमाईनामा पत्र दिनांक 14.09.2016 में रिविजनकर्त्ता की शादी की तिथि 14.09.2016 अंकित है।

उक्त दो कागजातों, जो स्वयं रिविजनकर्त्ता के द्वारा दाखिल किया गया है, में शादी की दो भिन्न तिथियों का उल्लेख एवं शपथ पत्र में निर्गत होने की तिथियों में अन्तर होना उक्त कागजातों को संदिग्ध बनाता है। अतः घरजमाई के रूप में दाखिल उक्त कागजातों की प्रमाणिकता स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

विपक्षी के द्वारा दाखिल निर्वाचक नामावली की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बेनेडिक मराण्डी, पिता–चार्लेश मराण्डी का नाम क्रमांक 182 में अंकित है। रिविजनकर्त्ता के द्वारा इस निर्वाचक नामावली को गलत नहीं ठहराया गया है अपितु यह कहा गया है कि उक्त निर्वाचक नामावली रिविजनकर्त्ता के शादी होने के पूर्व का है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि रिविजनकर्त्ता के द्वारा घरजमाई शादी का दो भिन्न कागजात दाखिल किया गया है जिसमें एक में शादी की तिथि 13.05.2014 तथा दूसरे में दिनांक 14.09.2016 बताया गया है। चूंकि शादी की वास्तविक तिथि ही स्पष्ट नहीं है अतः निर्वाचक नामावली शादी के पूर्व का है अथवा बाद का यह स्पष्ट नहीं है। यदि शादी की प्रथम तिथि को सही माना जाए तो निर्वाचक नामावली बाद की है। क्योंकि उक्त शादी की तिथि निम्न न्यायालय में उनके द्वारा दाखिल आवेदन के बाद की है।

अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के जांच प्रतिवेदन में भी रिविजनकर्त्ता की शादी घरजमाई तरीके से सम्पन्न नहीं होने की बात कही गई है।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि रिविजनकर्त्ता के द्वारा घरजमाई तरीके से अपनी शादी की बात को ठोस साक्ष्यों/कागजातों के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सका। इस संबंध में दाखिल कागजात उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः रिविजनकर्त्ता की घरजमाई तरीके से शादी होने की दलील को नहीं माना जा सकता है। चूंकि घरजमाई शादी नहीं हुई है इसलिए वंशानुगत के आधार पर प्रधान पद पर नियुक्ति का दावा नहीं बनता है।

विचारण के बिन्दु 2 के संदर्भ में अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के पत्रांक 166/रा0, दिनांक 11.09.2015 के द्वारा निम्न न्यायालय को प्रेषित जांच प्रतिवेदन के अवलोकन किया

27.1.2021

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

गया। जांच प्रतिवेदन के साथ मौजा–सालगापाड़ा के जमाबन्दी नं0–12 के खतियानी रैयत दुर्गा हेम्ब्रम की वंशावली अंकित है। उक्त वंशावली के अनुसार विपक्षी खतियानी रैयत दुर्गा हेम्ब्रम के वंशज है तथा पूर्व नियुक्त ग्राम प्रधान हेलेना मराण्डी के संबंधी है। इस प्रकार विपक्षी का वंशानुगत आधार पर दावा बनता है। जहां तक रिभीजनकर्त्ता के द्वारा विपक्षी के प्रमाणिक पद होने का दावा किया गया है तो इस संदर्भ में रिभीजनकर्त्ता द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

चूंकि रिविजनकर्त्ता द्वारा घरजमाई शादी को प्रमाणित नहीं किया जा सका। अतः Santhal Custom के अनुसार पूर्व नियुक्त ग्राम प्रधान हेलेना मराण्डी की वैध उत्तराधिकारी नही हो सकती है। अतः ग्राम प्रधान पद के लिए रिविजनकर्त्ता Fit नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

27.1.2021
उपायुक्त,
पाकुड़।

27.1.2021
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

94/DB
25.3.2021

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.12 15:44:08 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner